राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक)
पर्यवेक्षण विभाग, प्रधान कार्यालय,
नई दिल्ली

आरएफपी संदर्भ सं..: - रा.आ.बैंक/डीओएस/आरएफपी–04207/2022 दिनांकित जून 24, 2022

आवास वित्त कंपनियों के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अभिग्रहण हेतु परामर्श सेवाएं के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अभिग्रहण हेतु सलाहकार की नियुक्ति के लिए भारतीय परामर्श एजेंसियों से मुहरबंद प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करता है। योग्य परामर्श एजेंसियां विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.nhb.org.in पर जा सकती हैं एवं उसमें बताए गए अनुसार आवेदन कर सकती हैं।

आरएफपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि: जुलाई 18, 2022

अस्वीकरण

प्रस्ताव के लिए यह अनुरोध (आरएफपी) पूरी तरह से रा.आ.बैंक को परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आवश्यकताओं को परिभाषित करने में सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह आरएफपी सेवाओं के संबंध में एक अनुबंध, समझौते या किसी अन्य व्यवस्था करने के लिए रा.आ.बैंक द्वारा एक अनुशंसा, प्रस्ताव या निमंत्रण नहीं है, बल्कि केवल भारत में कार्य कर रहे पात्र इच्छुक बोलीदाताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का निमंत्रण है। आरएफपी जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि रा.आ.बैंक किसी भी बोलीदाता का चयन करने या कार्य के लिए चयनित बोलीदाता को नियुक्त करने के लिए बाध्य है। रा.आ.बैंक बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सेवाओं का प्रावधान चयन प्रक्रिया और उपयुक्त दस्तावेज के पालन के अधीन है। जब तक सफल बोलीदाता के साथ रा.आ.बैंक द्वारा औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर और निष्पादन नहीं किया जाता है, तब तक आरएफपी प्रक्रिया से कोई संविदात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

इस दस्तावेज़ को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। यह आरएफपी प्रत्येक बोलीदाता के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल करने का दावा नहीं करती है। प्रत्येक बोलीदाता को आरएफपी दस्तावेज़ में निहित जानकारी, उस जानकारी के अर्थ और प्रभाव का विश्लेषण करना चाहिए और इस आरएफपी में जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और जहां आवश्यक हो स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए। रा.आ.बैंक इस आरएफपी की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के लिए कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित नहीं करता है, और किसी भी कानून, संविधि, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं होगा। रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक से, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना, इस आरएफपी में जानकारी को अद्यतन, संशोधित या पूरक कर सकता है।

रा.आ.बैंक और उसके निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि, एजेंट और सलाहकार द्वारा किसी भी नुकसान, दावे, व्यय (बिना किसी सीमा के, कोई कानूनी शुल्क, लागत, प्रभार, मांग, कार्रवाई, देनदारियां, खर्च या उसमें किए गए संवितरण या उसके आनुषंगिक सहित) या कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति द्वारा क्षति (चाहे पूर्वाभासी हो या नहीं) ("नुकसान") या इस आरएफपी दस्तावेज़ में निहित पूर्वानुमानों, कथनों, अनुमानों, या अनुमानों सहित किसी भी अनुमान या जानकारी (चाहे मौखिक हो या लिखित और चाहे व्यक्त हो या निहित) के कारण कार्य करने से परहेज करना या इसके सहायक आचरण करने, से सभी देयताओं को अस्वीकार किया जाता है।

खंड– 1

बोली सूचना

1.1 बोलियों का आमंत्रण

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित एक निगमित निकाय है एवं इसका प्रधान कार्यालय 3 - 5 वां तल, कोर 5 ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली -110 003 में स्थित है तथा बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में स्थित हैं। इसके क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थित हैं।

1.2 आरएफपी का उद्देश्य

रा.आ.बैंक संदर्भ की शर्तों में यथा उल्लिखित आवास वित्त कंपनियों के पर्यवेक्षण में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण में स्थानांतरण करने हेतु एक सलाहकार नियुक्त करने के लिए पात्र बोलीदाताओं से तकनीकी-वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने हेतु यह आरएफपी जारी कर रहा है।

1.3 आरएफपी अनुसूची

<table>
<tr><td>बोली संदर्भ संख्या</td><td>रा.आ.बैंक/डीओएस/आरएफपी–04207/2022 दिनांकित जून 24, 2022</td></tr>
<tr><td>बयाना राशि जमा (प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमाराशि)</td><td>₹10,00,000/- (दस लाख रुपये मात्र) राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से, नीचे दिए गए बैंक विवरण के अनुसार:
<table>
<tr><th>क्रं. सं.</th><th>प्रकार</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>लाभार्थी का नाम</td><td>राष्ट्रीय आवास बैंक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>लाभार्थी पता</td><td>कोर 5ए, चौथी मंजिल, भारत पार्यवास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003</td></tr>
<tr><td>3</td><td>लाभार्थी के बैंक का नाम</td><td>भारतीय स्टेट बैंक</td></tr>
<tr><td>4</td><td>लाभार्थी बैंक शाखा का पता</td><td>प्रगति विहार शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003</td></tr>
<tr><td>5</td><td>बैंक खाते का प्रकार</td><td>चालू खाता</td></tr>
<tr><td>6</td><td>लाभार्थी बैंक खाता संख्या</td><td>52142903844</td></tr>
<tr><td>7</td><td>बैंक शाखा का आईएफएससी कोड</td><td>SBIN0020511</td></tr>
<tr><td>8</td><td>एमआईसीआर संख्या</td><td>110004005</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों के प्रारंभ होने की तिथि	**जून 24, 2022**
बोली पूर्व बैठक	**जुलाई 06, 2022 अपराह्न** 3.00 **बजे**
बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	**जुलाई 18, 2022 शाम** 5.00 **बजे**
तकनीकी बोली खोलना	बाद में सूचित किया जाएगा
बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी प्रस्तुति	बाद में सूचित किया जाएगा
वित्तीय बोली खोलना	बाद में सूचित किया जाएगा
किसी स्पष्टीकरण हेतु उक्त व्यक्ति से संपर्क करें	श्री अमित सिन्हा, उप महाप्रबंधक, रा.आ.बैंक टेलीफोन - 91-11-3918 7122 ईमेल आईडी – amit.sinha @nhb.org.in श्री आदित्य शर्मा, सहायक महाप्रबंधक, रा.आ.बैंक टेलीफोन - 91-11-3918 7060 ईमेल आईडी – aditya.sharma@nhb.org.in
बोली प्रस्तुत करने की प्रणाली	सरकारी ई-बाजार (जेम) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन

1.4 बोलीदाताओं हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

i. रा.आ.बैंक इस दस्तावेज़ में वर्णित अनुसार आ.वि.कं. के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अभिग्रहण में सुविधा हेतु एक संविदात्मक व्यवस्था का प्रस्ताव करने के लिए बोलीदाताओं से प्रतिक्रिया आमंत्रित करता है।

ii. बोलियों की संख्या

एक बोलीदाता केवल एक ही बोली प्रस्तुत कर सकता है। यदि किसी बोलीदाता द्वारा एक से अधिक बोली प्रस्तुत की जाती है, तो बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iii. संयुक्त बोलियां

क. इस समनुदेशन के लिए संयुक्त रूप से बोलीदाता के लिए दो या दो से अधिक बोलीदाता एक दूसरे के साथ भागीदार नहीं होंगे।

ख. बोली लगाने से पूर्व, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे आरएफपी दस्तावेज़ एवं उसमें विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच करें। बोलीदाताओं को इस आरएफपी से संबंधित सभी

संचारों को नामित संपर्क अधिकारियों के माध्यम से निर्देशित करना अपेक्षित है, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

श्री अमित सिन्हा, उप महाप्रबंधक, रा.आ.बैंक फोन नंबर.: 91-11-3918 7122 ईमेल: amit.sinha @nhb.org.in	श्री आदित्य शर्मा, सहायक महाप्रबंधक, रा.आ.बैंक फोन नंबर.: 91-11- 3918 7060 ईमेल: aditya.sharma@nhb.org.in
पर्यवेक्षण विभाग राष्ट्रीय आवास बैंक चौथी मंजिल, कोर - 5ए, भारत पर्यावास केंद्र लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003	

ग. राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।

घ. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।

ङ. यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।

च. यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो, केवल जेम पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किया जाएगा।

छ. बोलीदाता को भारत में किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/भा.रि.बैंक/बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित या असूचीबद्ध नहीं किया गया हो।

iv. बोली पूर्व बैठक

क. इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास इस आरएफपी में दी गई तिथि व समय पर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में जेम पर जुलाई 05, 2022 को या उससे पहले अपलोड किए जाने चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के बोली पूर्व बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के केवल प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही

बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी। बैठक के लिए लिंक "निविदाएं" अनुभाग के तहत बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

ख. प्रश्नों को आवश्यक रूप से निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

क्रं. सं.	**आरएफपी पैरा सं. एवं पृष्ठ संख्या**	**स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाली आरएफपी सामग्री**	**स्पष्टीकरण हेतु बिंदु**
1			
2			
3			

ग. रा.आ.बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि बोलीदाताओं के प्रश्न उन्हें प्राप्त हो गए हैं। उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार या विनिर्दिष्ट तिथि एवं समय के बाद प्राप्त स्पष्टीकरण के किसी भी अनुरोध पर रा.आ.बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

v. बोली प्रस्तुत करने की प्रणाली

निविदा/आरएफपी को जेम पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है। आरएफपी दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी रा.आ.बैंक की वेबसाइट **http://www.nhb.org.in** से "निविदाएं" खंड एवं केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर भी डाउनलोड की जा सकती है। बोली/प्रतिक्रिया केवल जेम पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी एवं प्रस्तुत करने के किसी अन्य तरीके की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियां, यदि कोई हों, अस्वीकार कर दी जाएंगी एवं आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

vi. निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

vii. विलोपन अथवा परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर तकनीकी बोली में किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरीके से कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरुपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी

बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

viii. बोली/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

क. बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ.बैंक, किसी भी कारण से, संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ को संशोधित कर सकता है। संशोधन जेम पोर्टल और रा.आ.बैंक की वेबसाइट **www.nhb.org.in** पर अपलोड किया जाएगा

ख. सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

ग. रा.आ.बैंक अपने विवेक से जेम पोर्टल एवं रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोलियां जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ.बैंक एवं बोलीदाताओं के सभी अधिकार और दायित्व जो पहले समय-सीमा के अधीन थे, उसके बाद विस्तारित की गई समय सीमा के अधीन होंगे।

घ. किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

ix. बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखे जाएंगे।

x. स्थान/मात्रा बदलने का अधिकार

रा.आ.बैंक आरएफपी में निर्दिष्ट प्रस्तावित स्थान/स्थानों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एनएचबी समय-समय पर इस आरएफपी में निर्दिष्ट सूची से एक या अधिक स्थान/स्थानों को जोड़ने/हटाने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

xi. बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रुपए में उद्धृत होंगी। भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

xii. बोली की स्वीकृति/अस्वीकृति

रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। इस संबंध में रा.आ.बैंक का कोई भी निर्णय अंतिम, निर्णायक एवं बोलीदाता हेतु बाध्यकारी होगा।

xiii. बोली रद्द करना

रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए पूरी बोली प्रक्रिया और/या उसके संबंध में किसी भी विसंगति, अनियमितता या विसंगति के मामले में किसी भी भाग को फिर से जारी करने / फिर से आरंभ करने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में रा.आ.बैंक का कोई भी निर्णय अंतिम, निर्णायक एवं बोलीदाता हेतु बाध्यकारी होगा।

xiv. बोलियों की वैधता अवधि

- **वैधता अवधि: -** इस आरएफपी में बोलियां जमा करने के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि से छह माह की अवधि हेतु बोलियां वैध रहेंगी। रा.आ.बैंक के पास छह माह से कम अवधि हेतु वैध बोली को अस्वीकार करने का अधिकार है।
- **वैधता अवधि का विस्तार:-** असाधारण परिस्थितियों में, रा.आ.बैंक के पास बोली की वैधता को आगे की अवधि हेतु बढ़ाने का अधिकार है। असाधारण परिस्थितियों में रा.आ.बैंक वैधता की अवधि बढ़ाने हेतु बोलीदाताओं की सहमति मांग सकता है। उपर्युक्त कोई भी अनुरोध एवं प्रतिक्रिया लिखित रूप में की जाएगी। प्रदान की गई बोली सुरक्षा/ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

xv. रा.आ.बैंक के पास आरएफपी में उल्लिखित तिथियों को परिवर्तित करने का अधिकार है, एवं संशोधित तिथियों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

xvi. ₹10,00,000/- (मात्र दस लाख रुपये) की बयाना राशि जमा (ईएमडी) का भुगतान न करने पर बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- ईएमडी के भुगतान का प्रमाण तकनीकी बोली के साथ संलग्न/प्रस्तुत किया जाना चाहिए; जिसके अभाव में आगे के मूल्यांकन हेतु बोली पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- बोलीदाताओं को अनुलग्नक-XIII में संलग्न ईसीएस अधिदेश प्रपत्र भी जमा करना आवश्यक है।
- ईएमडी के बिना उचित रूप एवं प्रणाली से प्राप्त किसी भी बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा एवं अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ईएमडी से छूट के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

- अन्यथा यहां प्रदान किए गए के अलावा या निश्चित समझौते में, सभी असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि कार्य/अनुबंध के 30 दिनों के बाद या उससे पूर्व निविदा प्रक्रिया पूरी होने पर वापस कर दी जाएगी।
- अन्यथा यहां प्रदान किए गए के रूप में या निश्चित समझौते में, सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि एसएलए के निष्पादन एवं आरएफपी की शर्तों के अनुसार कुल अनुबंध मूल्य के 3% के मूल्य हेतु पीबीजी जमा करने के बाद वापस कर दी जाएगी।

xvii. ईएमडी प्रतिभूति जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली की वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली/बोलियों को वापस ले लेता है।
- यदि बोलीदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व किसी भी समय कोई नकली/गलत विवरण या प्रपत्र संलग्न करता है।
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है**;**
- अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते के किसी भी उल्लंघन के मामले में।

xviii. असफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई बयाना राशि (ईएमडी) सफल बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करने के बाद वापस कर दी जाएगी। चयनित सफल बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करने के संबंध में रा.आ.बैंक के साथ एक करार करना अपेक्षित होगा। यदि चयनित बोलीदाता निर्धारित तिथि के भीतर अनुबंध का करार करने में विफल रहता है एवं निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, बयाना राशि रा.आ.बैंक के विवेक पर जब्ती के अधीन होगी। बयाना राशि जमा पर रा.आ.बैंक द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

xix. कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी अनुबंध XIX में दिए गए प्रारूप में सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

xx. बोलीदाता इस आरएफपी के तहत आने वाले कार्यों से संबंधित समय-समय पर जारी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

सभी खंड एवं अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What’s New

कृपया नोट करें – अंग्रेजी आरएफपी संस्करण राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in में What’s New हेड पर उपलब्ध है।

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

XXXXXXXX XX